बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

मार्गदर्शिका

ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को DBT से भुगतान की मार्गदर्शिका

राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करने, विवाह निबंधन को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सुचारू एवं ससमय संचालन के लिए पूर्व की व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्षम कार्यालय के अंतर्गत DBT Cell द्वारा विकसित एवं संचालित ई-सुविधा पोर्टल पर इस योजना के लाभुकों की विवरणी विहित प्रपत्र में स्वीकृति के उपरांत जिला/प्रखंड स्तर से संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

ई-सुविधा पोर्टल के अंतर्गत योजनाओं के लिए Beneficiary Management System विकसित किया गया है, जिस पर स्वीकृत किये गये लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि लाभार्थियों को DBT के माध्यम से भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

ई-सुविधा पर इस योजना के लाभुकों की विवरणी उनके बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ संधारित की जाएगी तथा लाभुकों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लॉक कर digital signature/E-Sign किया जायेगा और उन्हें भुगतान हेतु अनुमोदित किया जायेगा। विदित हो इस योजना के लिए वार्षिक आवंटन/मांग के आलोक में जिलावार राशि के लिए limit निर्धारित किया जायेगा जिससे अधिक की राशि किसी भी परिस्थिति में जिला को देय नहीं होगी। Limit का निर्धारण तथा उसे बढ़ाने/घटाने के लिए समाज कल्याण निदेशालय सक्षम होगा। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाईल तैयार की जाएगी, जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा digital signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट टू होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक के द्वारा विहित राशि लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा। ई-सुविधा पोर्टल पर जिला/प्रखंड के स्तर से की गई लाभुकों की इंट्री में आवश्यक रूप से उसकी स्वीकृति से संबंधित आदेश को पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है।

लाभुकों की सूची को सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लॉक कर digital signature/E-Sign किया जायेगा और तभी उन्हें भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा। भुगतान के लिए प्रक्रिया हेतु अनुमोदित करने से पूर्व सभी सहायक निदेशक आवश्यक रूप से संतुष्ट हो लेगें कि पोर्टल पर लॉक की गई लाभुक की विवरणी तथा राशि की विवरणी सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने/डाटा के गलत होने की आशंका होने पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को revert/deletion का अधिकार होगा। Revert/deletion करते हुए सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई इसका कारण भी स्पष्ट करेंगे। Digital signature/E-Sign की सुविधा उपलब्ध होने तक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ई-सुविधा पर लॉक किये गये डाटा को ही रेडी फॉर पेमेंट मानते हुए राज्य स्तर से भुगतान किया जायेगा।

राशि की उपलब्धता के आलोक में ready for payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पर प्रक्रिया संपादित कर भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा। DBT हो जाने

Scanned by CamScanner

के उपरांत ready for payment फाइल वस्तुत: Paid फाईल बन जायेगी जिसकी hardcopy को प्रत्येक प्रखंड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

"सक्षम" कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही hardcopy में सारांश (summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु डी0बी0टी0 की प्रक्रिया :-

1.1 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री की जायेगी। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री की जा सकती है।

1.2 स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देखकर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता और आई0एस0एफ0सी0 कोड है या नहीं और उसका नाम बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरश: मिलता है या नहीं। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक की स्कैन कॉपी भी ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

1.3 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भुगतान के दो विकल्प उपलब्ध हैं। प्रथम विकल्प के तहत प्रखंड के योग्य लाभुक की विवरणी स्वीकृति आदेश के साथ बैंक खाता की विवरणी सहित ई-सुविधा पर इन्ट्री की जाएगी तथा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से लॉक एवं digital signature/E-Sign किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाईल तैयार की जायेगी जिसे अधिकृत पदाधिकारी द्वारा digital signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट तो होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक द्वारा विहित राशि लाभुक के खाता में प्रेषित किया जायेगा।

1.4 पूर्व में प्राप्त आवेदनों के इंन्ट्री के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि लाभार्थी को राशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अथवा राशि का भुगतान किया जाना लंबित है।

2. MIS एवं अनुश्रवण-

2.1 DBT कोषांग द्वारा ई-सुविधा प्रणाली संचालित की जाती रहेगी और लाभार्थी एवं सर्वसाधारण को नियमानुसार अनुमान्य सूचना विभिन्न माध्यमों यथा website, call centre, IVRS आदि से वांछित सूचना प्रदान करेगी। यह कार्य किसी agency को outsource कर भी किया जा सकेगा अथवा बैंक से भी यह सेवा प्राप्त की जा सकेगी।

2.2 भुगतान संबंधी किसी त्रुटि अथवा पोर्टल में त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण यदि गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की तथा उसकी वसूली सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई की होगी। पूरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जिम्मेवारी "सक्षम" अंतर्गत स्थापित DBT कोषांग की होगी।

2.3 ई-सुविधा पोर्टल पर लाभुकों के डाटा संधारण एवं पेमेंट के फाईल के निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया की अहम भूमिका है। इसके आलोक में DBT Cell की जिम्मेवारी होगी कि पूरा database शुद्ध और tamper free रहे तथा software में भी कोई bug न रहे। इसके लिए नियमित रूप से सघन जांच

Scanned by CamScanner

की जाएगी और system/software में आवश्यतानुसार सुधार किया जायेगा। साथ ही इसके लिए सभी आवश्यक प्रमाणक यथा security audit certificate आदि को प्राप्त करना तथा उसे अद्यतन बनाये रखना भी अनिवार्य होगा।

(अतुल प्रसाद)
अपर मुख्य आयुक्त,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण विभाग)

पत्रांक-10/मु०क०वि०यो० 32/2018-2824

प्रेषक,

राज कुमार,
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 24-12-18.

विषय : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित ई-पोर्टल पर लाभुकों को इंट्री करने हेतु शिविर आयोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभुकों को सुचारू तथा ससमय भुगतान के लिए ई-सुविधा पोर्टल से जोड़ा गया है जिसके कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

उल्लेखनीय है ई-सुविधा के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु Beneficiary Management System विकसित किया गया है जिस पर स्वीकृत किये गये लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। आई0डी0 एवं पासवर्ड ई-मेल के माध्मय से सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलबध करायी जा रही है। ई-सुविधा पोर्टल पर लाभुकों की इन्ट्री को गति देने के लिए निम्नवत सहयोग की अपेक्षा है :-

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभुक जिनकों भुगतान किया जाना है, से संबंधित सूचनाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से इंट्री कराना सुनिश्चित किया जाय। ***प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित होते हुए सत्यापित करेंगे कि इंट्री किये गये लाभार्थी की सूचना तथा भुगतेय राशि सही है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिकायी या दोहरी भुगतान के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पूर्णत: जिम्मेवार होंगे।***
2. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की विवरणी सत्यापित करते हुए समेकित कर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. ई-सुविधा के संबंध में Video Conferencing के द्वारा जिलों में **सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ उनके कम्प्यूटर ऑपरेटर/TSEs को दिनांक-27.12.2018 को अप0 3:00 बजे को प्रशिक्षण** दिया जायेगा, ताकि ई-सुविधा का सुचारू कार्यान्वयन किया जा सके।

Scanned by CamScanner

4. ई-सुविधा पोर्टल पर सभी **लंबित लाभुकों को अभियान के तहत इन्ट्री कराने के लिए दिनांक-29.12.2018, 30.12.2018 तथा 31.12.2019 को तीन दिवसीय शिविर का आयोजन** सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
5. शिविर में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने ऑपरेटर के साथ आना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी भुगतान हेतु योग्य लाभुकों से संबंधित विवरणी को ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री करना सुनिश्चित करेंगे।
6. शिविर में इंटरनेट सुविधा युक्त कम्प्यूटर सेट (ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
7. ई-सुविधा पोर्टल के मार्गदर्शिका के अनुपालन के संबंध में **सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से सभी प्रखंडों को आवश्यक अनुदेश त्वरित आधार पर जारी किया जाय** तथा शिविर में सभी आवश्यक विवरणी के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया जाय।
8. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शिविर का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को तथा उसकी एक प्रति जिला पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त।

(राज कुमार)
24/12/18
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक- 2824 पटना-15, दिनांक- 24-12-18

प्रतिलिपि :-

- प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति सक्षम, एस0एस0यू0पी0एस0डब्लू0, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राज कुमार)
24/12/18
निदेशक, समाज कल्याण।

Scanned by CamScanner